न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम, सहारनपुर।

पीठासीन अधिकारी– श्री श्रेय शुक्ला, उच्चतर न्यायिक सेवा।

J.O. Code– UP3845

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–3077/2026

CNR:–UPSP010072702026

शाहरूख पुत्र इमरान, निवासी ग्राम बसेडा, थाना नागल, जिला सहारनपुर।

..... **विपक्षी**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... **विपक्षी।**

मु०अ०सं०–193/2026
धारा–87, 69, 351(2) भारतीय न्याय संहिता
थाना–सरसावा, जिला–सहारनपुर।

22.07.2026

आवेदक/अभियुक्त **शाहरूख** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या– 193/2026, धारा–87, 69, 351(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना–सरसावा, जिला सहारनपुर के मामले में प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक दिनांक 29.06.2026 से न्यायिक अभिरक्षा के अन्तर्गत कारागार में निरूद्ध है।

जमानत प्रार्थनापत्र के साथ **इमरान पुत्र मीदा** का शपथपत्र दाखिल किया गया है, जिसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अतिरिक्त कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिया एक गरीब लड़की है। वादिया का निकाह वर्ष 2023 में बिजौली, जिला हरिद्वार में हुआ था। विपक्षी शाहरूख पुत्र इमरान निवासी ग्राम बसेड़ा थाना नागल जिला सहारनपुर जो वादिया की सगी खाल्ला का लड़का है पहले से मुलाकात थी और ये एकतरफा वादिया से निकाह करना चाहता था, विपक्षी नं. 1 शाहरूख ने वादिया को डराया व वादिया के भाई को जान से मारने का हवाला देकर डराकर वादिया को उसकी ससुराल बिजौली से दिनांक 01.03.2024 में भगाकर गोविन्दगढ ले गया और वादिया के साथ उसकी मर्जी के बगैर निकाह करने का वायदा करके 6 दिन तक बलात्कार किया और उसके बाद उसे अकेली मायके भेज दिया, तबसे वादिया अपने मायके में है। इसी दौरान विपक्षी शाहरूख ने अपनी बहन यासमीन व चाचा की लड़की सबिया विपक्षीगण 2 यासमीन व 3 साबिया को वादिया के पास भेजने लगा और वादिया का फोन नम्बर विपक्षीगण 2 व 3 ने शाहरूख को दे दिया और विपक्षीगण 2 व 3 ने वादिया को बहकाया कि विपक्षी शाहरूख तेरे से बहुत मौहब्बत करता है और तुझसे निकाह करना चाहता है तू इससे निकाह कर ले। विपक्षी शाहरूख ने वादिया से फोन पर बात की और वादिया को धमकी दी कि तेरे भाई को जिन्दा नहीं छोडूंगा या मेरे साथ निकाह कर ले और मेरे साथ चल। दिनांक 21.05.2026 में करीब 02.30 बजे विपक्षी शाहरूख ने विपक्षीगण 02 व 03 को वादिया के घर भेजकर बाहर बुलाया और जबरदस्ती चाकू दिखाकर वादिया को मोटरसाईकिल पर बैठाकर बस अड्डा सरसावा पर आया और वहां से बस में बैठकर पटियाला भगाकर ले गया और वहां विपक्षी ने एक होटल में कमरा लेकर वादिया के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। फिर वादिया को वहीं छोड़कर खुद अपने घर आ गया ताकि किसी को कोई शक न हो। इस वाके की सूचना वादिया के घरवालो ने पुलिस को दी। पुलिस ने

शाहरूख से पूछताछ की तो विपक्षी शाहरूख ने कबूला कि वह उसे पटियाला छोड़कर आया है और पुलिस शाहरूख व वादिया को निकाल कर लायी। दिनांक 25.05.2026 की रात्रि 02.30 बजे पुलिस वादिया व विपक्षी शाहरूख को थाने लायी लेकिन शाहरूख ने यहां आते ही वादिया से निकाह करने से मना कर दिया और साथ रखने से मना कर दिया। विपक्षी शाहरूख ने वादिया की जिन्दगी खराब कर दी है। विपक्षी शाहरूख ने वादिया के साथ बलात्कार किया है। जिसकी बाबत वादिया ने थाने पर प्रार्थना पत्र दिया था परन्तु पुलिस ने विपक्षीगण के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। इसके बाद वादिया ने प्रार्थना पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को व मुख्यमंत्री पोर्टल के माध्यम से भेजा परन्तु उस पर भी आज तक विपक्षीगण के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है। इसलिए वादिया श्रीमान जी के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रही है। अतः कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गयी है कि प्रार्थी को उक्त मुकदमें में बिल्कुल झूठा एवं रंजिश के आधार पर फंसाया गया है, प्रार्थी ने कोई अपराध किसी प्रकार का नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से लिखाई गयी है देरी का कोई उचित कारण नहीं दिया गया है। रिपोर्टकर्ता व प्रार्थी मुल्जिम आपस में सगे रिश्तेदार है। रिपोर्टकर्ता की आयु 32 वर्ष है, विवाहित महिला है। रिपोर्टकर्ता अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती और अपने पति को छोड़कर अपने मायके में रह रही है। रिपोर्टकर्ता व रिपोर्टकर्ता के परिवार के आपस में सगे रिश्तेदार होने के कारण एक दूसरे के घर आना–जाना है और आपस में रिश्तेदारी होने के कारण बाते भी होती है। प्रार्थी के साथ रिपोर्टकर्ता निकाह करना चाहती है। रिपोर्टकर्ता का रिश्ता रिपोर्टकर्ता के परिवार एवं रिश्तेदारो ने प्रार्थी के साथ कर दिया था, लेकिन रिपोर्टकर्ता का आचरण एवं व्यवहार ठीक नहीं होने की जानकारी होने पर प्रार्थी व प्रार्थी के घरवालों ने रिपोर्टकर्ता का रिश्ता तोड़ दिया गया था और रिपोर्टकर्ता के परिवार वालों एवं प्रार्थी व प्रार्थी के परिवारवालों में विवाद हो गया था। जिस पर प्रार्थी के गांव बसेडी में प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार की व रिपोर्टकर्ता एवं रिपोर्टकर्ता के परिवार के बीच में लिखित में फैसला दिनांक 18.02.2024 को हो गया था और रिपोर्टकर्ता व रिपोर्टकर्ता के परिवार वालों ने नगद 8 लाख रूपए लिये गये थे। और रिपोर्टकर्ता के भी हस्ताक्षर हुए थे। पुरानी रंजिश के कारण उक्त मुकदमें में गलत तथ्य लिखकर रिपोर्ट लिखायी गयी है। प्रार्थी शादीशुदा है और प्रार्थी के दो बच्चे है और रिपोर्टकर्ता प्रार्थी का वैवाहिक जीवन खराब करके प्रार्थी के साथ जबरदस्ती निकाह करना चाहती है। यदि रिपोर्टकर्ता प्रार्थी से पीड़ित थी तो उसके द्वारा अपने परिवार के किसी सदस्य को नहीं बताया गया। रिपोर्टकर्ता ने ससुराल से भागने की घटना 01.03.2024 की बतायी है। यदि रिपोर्टकर्ता के साथ ऐसी घटना हुई है तब भी रिपोर्टकर्ता या रिपोर्टकर्ता के परिवार वालों ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी है। प्रार्थी द्वारा रिपोर्टकर्ता को चाकू के बल पर बस अड्डे ले जाना बताया है जहां पर हर समय पुलिस व अन्य व्यक्ति रहते हैं शोर शराबा करती और सरसावा से पटियाला तक ले जाना बताया गया। होटल में रहना बताया वहां पर भी रिपोर्टकर्ता द्वारा बस में या किसी अन्य स्थान पर कोई शिकायत नहीं की। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना गया तथा केस डायरी व समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया।

थाने से प्राप्त आख्या एवं केस डायरी का अवलोकन किया। आवेदक/अभियुक्त पर वादिया मुकदमा/पीड़िता को बहला–फुसलाकर उसका व्यपहरण किये जाने, पीड़िता को शादी

का झांसा देकर बलात्कर करने तथा जान से मारने की धमकी दिये जाने का आक्षेप है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। प्रस्तुत प्रकरण में पीड़िता ने अपने बयान धारा 180 बी.एन.एस.एस. एवं बयान धारा 183 बी.एन.एस.एस. में थाने पर दी गयी घटना की तहरीर का समर्थन किया है। पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 17.06.2026 को किया गया है जिसमें पीड़िता ने मैडिकल के दौरान चिकित्सक को दिये बयान में कथन किया कि दिनांक 21.05.2026 को शाहरूख मुझे मेरे भाई को जान से मारने की धमकी देकर पटियाला ले गया वहां उसने दो दिन तक एक होटल के कमरे में रखा और मेरी सहमति के बिना मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाये। दो दिन बाद 23.05.2026 को शाहरूख मुझे अकेला होटल में छोड़कर सहारनपुर आ गया। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। जमानत पर रिहा किए जाने की स्थिति में साक्ष्यों को प्रभावित किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। कथित अपराध महिला के विरूद्ध एवं गम्भीर प्रकृति का है। मामले के गुण–दोष पर टिप्पणी किये बिना केस डायरी में संकलित साक्ष्य से आवेदक/अभियुक्त की कथित अपराध में संलिप्तता प्रथम दृष्ट्या परिलक्षित है।

अतः प्रस्तुत प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण दोष पर कोई मत व्यक्त किये बगैर, आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **शाहरूख** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

जमानत आदेश की एक प्रति मेल व डाक से **जेल अधीक्षक, जिला कारागार, सहारनपुर** को प्रेषित की जाये।

दिनांक 22.07.2026

(श्रेय शुक्ला)
अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय–प्रथम,
सहारनपुर।
(JO. Code.–UP3845)

Digitally signed by Shrey Shukla
Date: 2026.07.25 16:38:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court